

**Form No. III****Qn/vgdke**

(नियम 26)

अज अदालत

**न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़**मुकाम **चित्तौड़गढ़****मोहनीबाई**

बनाम

**मनस्वी नरेश वगैराह****कार्यवाही अन्तर्गत :-****धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

किस्म मुकदमा

**प्रार्थना पत्र (रे0वि0)**

नं0

**022**

सन्

**2025**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.08.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अप्रार्थीगण की तलबी लौट कर प्राप्त नहीं। अप्रार्थीगण 2 से लगायत 7 तक की और से अधिवक्ता छोगालाल जाट हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से टिप्पणी/कमेट्स प्राप्त नहीं है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू में लम्बित प्रकरण संख्या 072/2018 (राजस्व-वाद) एवं 059/2024 (प्रार्थना-पत्र) अनवानी नन्दलाल बनाम मोहनीबाई वगैराह को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त नहीं होने की संभावना से प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगू से दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान स्थिति में तत्कालीन पीठासीन का स्थानान्तरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निष्प्रभावी (Ineffective) हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अधिशेष नहीं रहती है, अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बेंगू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

-S/d-

(आलोक रंजन)

जिला कलक्टर,

चित्तौड़गढ़

06.08.2025

